



2026:AHC:126968

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 20182 वर्ष 2026

जगरूप सिंह..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आकांक्षा वर्मा, दीपक कुमार वर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री दीपक कुमार वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता के रूप में सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-41 वर्ष 2026 में धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2), 61 (2), 111(3), 308(6) बी.एन.एस. और धारा 66 (सी), 66 (डी), आईटी एक्ट, थाना-रेउना, जिला-कानपुर नगर के तहत दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। अपराध करने के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कथित बरामदगी फर्जी है क्योंकि कथित बरामदगी का कोई सार्वजनिक गवाह नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह के आरोपी व्यक्तियों, नीरज कुमार और शिवकांत को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-19090 वर्ष 2026 और 18213 वर्ष 2026 में पारित आदेश 02.06.2026 और 03.06.2026 द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक 08.04.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

6. आवेदक-जगरूप सिंह, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले



में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भ०द०वि० की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बी.एन.एस.) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द०प्र०स०(संबंधित धारा 84 बी.एन.एस.एस.) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार, भ०द०वि० की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बी.एन.एस.) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) द०प्र०स० की धारा 313 (संगत धारा 351 बी.एन.एस.एस.) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

11 जून 2026

जीएसएस